उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 106/2018 /3802/71-1-2017-झ-167/2017
लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2017/2561, दिनॉक 28.11.2017 द्वारा की गई संस्तुति एवं डा0 जे0 पी0 पुरोहित, आचार्य, ई0एन0टी0 विभाग, मेडिकल कालेज, झॉसी के पत्र दिनॉक 24.10.2017 द्वारा किए गए अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 जे0 पी0 पुरोहित, आचार्य, ई0एन0टी0 विभाग, मेडिकल कालेज, झॉसी को उत्तर प्रदेश मूल नियमावली 1942 के मूल नियम-56 में वर्णित प्राविधानों के अधीन दिनॉक 24.01.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव

<u>संख्या:- 106/2018/3802(1)/71-1-2017- तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, झॉसी।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, झॉसी।
6- कोषाधिकारी, झॉसी।
7- डा0 जे0 पी0 पुरोहित, आचार्य, ई0एन0टी0 विभाग, मेडिकल कालेज, झॉसी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।